1/25/23, 12:16 PM about:blank

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Compulsory Furnishing of Bills for Goods and Services Bill, 2018.

डॉ. रमेश पोखिरयाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि माल या सेवा के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा विक्रय किये गए माल और प्रदान की गई सेवाओं के लिए बीजकों का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण प्रदान करने वाला और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory furnishing of Bills for goods sold and services provided by the suppliers for goods or service and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक पुर:स्थापित ** करता हूं।

about:blank 1/1